(b) According to present guidelines where permission is granted to the lessee for transfer of his interest in an individual flat in a multi-storeyed-commercial or residential building, unearned increase at 50% of the difference between the value of the land on the date marking three months from the date of application (subject to the condition that if the land rate is revised during the three month period, the revised rates will apply) and the last transaction value is recoverable.

(c) The provision that request for transfer of individual flats and mutation cannot be agreed to unless 50% unearned increase in respect of each flat proposed to be transferred is paid ensures the recovery of Government dues. In case there is any unauthorised intervening transfers before permission for transfer from L. & D.O. is asked for, unearned increase willbe fully recovered as it is based on the difference between the value of the land as mentioned in (b) above and value at the time of last transaction agreed to by the L. & D.O.

भैनसाझर बांध को विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम में शामिल करना

*118. **श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में अरपा नदी पर भैनसाझर बांध को विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस वर्ष शामिल किया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उनके मंत्रालय के प्रयास से इस योजना को विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा; और

(ग) इस बांध का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना के लिए एक ऋण स्वीकृत किया है, जो फरवरी, 1982 से प्रभावी है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में अरपा स्कीम, जिसका भैनसाझर बांध एक गटक है, के आयोजन एवं अभिकल्प से संबंधित निर्माण कार्य सामिल हैं। इस ऋण में अरपा स्कीम से संबंधित अतिरिक्त सर्वेक्षणों एवं अन्वेषणों को आरम्भ करने के लिए धन की व्यवस्था है, ताकि विस्तृत परियोजना तयार की जा सके। अरपा स्कीम का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के दायरे में सम्मिलित नहीं है। चूंकी मध्य प्रदेश द्वारा अरपा नदी स्कीम के लिए परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई है, अतः बांध के निर्माण को हाथ में लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

भूमिगत जल

*219. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितना भूमिगत जल है और इसमें से कितने प्रतिशत जल का उपयोग हो पाता है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने भूमिगत जल का पता लगाया जायेगा और उपयोग किया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) भूमिगत जल संसाधनों के वार्षिक पुन : भराई-योग्य जल की उपलब्ध प्रमात्रा 41.62 मिलियन हैक्टेयर मीटर आंकी गइ है जिसमें लगभग 26 मिलियन हैक्टेयर मीटर जल सिंचाई के उपयोग हेतु उपलब्ध होने की संभावना है। भूमिगत जल से तदनुरूप सिंचाई क्षमता 40 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है। मार्च, 1983 तक भूमिगत जल के उपयोग